संख्या-33/2021/360/71-2-21-आर0एम0-23/2016

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर, गोमतीनगर विस्तार योजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5669/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2021, दिनांक 18 मार्च, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर, गोमतीनगर विस्तार योजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- संस्थान के नवीन परिसर, गोमतीनगर विस्तार योजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्यो की पुनरीक्षित प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-60/2019/2828/71-219-आर0एम0-23/2016 दिनांक 18.12.2019 द्वारा रू0 19972.24 लाख + (जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अनुमोदित लागत के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक रू0 15199.68 लाख की धनराशि अवमुक्त जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्थान के वृहद निर्माण हेतु प्रावधानित अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) से रू0 1650.50 लाख तथा अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) से रू0 346.50 लाख अर्थात कुल रू0 1997.00 लाख (रूपये उन्नीस करोड सत्तानबे लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1) निदेशक संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का व्यय संतोषजनक रूप से कर लिया गया है एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से कार्य कराया गया है।
2) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।
3) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
4) प्रश्नगत कार्य के लिये निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5) लागत में परिवर्तन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

6) परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत था और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7) प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/ गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

9) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

10) प्रश्नागत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/ संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

11) प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिडयूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक, संस्थान द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

12) बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

13) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। सम्बन्धित परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।

14) कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। संस्थान के वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि को कोषागार से आहरण 02-02 माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाए।

15) प्रयोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों पर निदेशक, संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।

16) **कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की समस्त जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक की होगी।**

17) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 शा0 संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11 अप्रैल, 2020 शा0 संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29.09.2020, दिनांक 20 जनवरी, 2021 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18) संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

19) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

20) संस्थान के पत्र संख्या-4349/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2020, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 के साथ संलग्न बार चार्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रायोजना को मई, 2021 तक पूर्ण कर कार्यदायी संस्था द्वारा हस्तगत कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-24- वृहत् निर्माण कार्य" से रू0 1650.50 लाख तथा अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-28-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" से रू0 346.50 लाख, के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 20 जनवरी, 2012 के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-33/2021/ 360 (1)/71-2-21-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4) वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5) महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 लखनऊ।
6) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in